कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 16.12.2024

विषय:- 25 हजार का इनामिया वांछित अभियुक्त थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 180/2024, धारा- 3, 5ए, 5बी, 8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित फरार इनामिया अभियुक्त विक्की यादव पुत्र शंकर यादव निवासी एन-9/40 एल-8 मोहल्ला न्यू कालोनी ककरमत्ता थाना भेलुपुर वाराणसी को टेंगरा मोड़ भीटी के पास से दिनांक- 16.12.2024 को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 16/12/2024, स्थान- टेंगरा मोड़ भीटी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

अभियुक्त का विवरण- विक्की यादव पुत्र शंकर यादव निवासी एन-9/40 एल-8 मोहल्ला न्यू कालोनी ककरमत्ता थाना भेलुपुर वाराणसी उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 27/09/2024 को वादी मुकदमा श्री राकेश कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी के लिखित फर्द के आधार पर घटना में प्रयुक्त मैजिक वाहन संख्या UP65BT2150 पर कुल 03 राशि गोवंशीय पशु अन्तर्राज्यी तस्करी का बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0180/2024 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त विक्की यादव उपरोक्त पूछने पर बता रहा है कि मेरी मित्रता चन्दौली के रहने वाले सुजीत कुमार बिन्द से हुई सुजीत के पास अपनी खुद की मैजिक है। सुजीत का मेरे घर आना जाना लगा रहता था एक दिन सुजीत ने बताया कि तुम्हारे घर व आस – पास बहुत पशु घूम रहे है अगर हम दोनों इन पशुओं को अपने मैजिक में लादकर बिहार बेचे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और किसी को पता भी नही चलेगा। मैं पैसे की लालच में आ गया और सुजीत बिन्द के साथ गौ तस्करी में संलिप्त हो गया। साहब मैं गो तस्करी में थाना चितईपुर वाराणसी से 02 बार जेल जा चुका हूं।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 0180/2024 धारा- 3 / 5ए / 5बी / 8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी। **(25 हजार का इनामिया)**
2. मु0अ0सं0-0003/2023 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गोवध अधिनियम थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0- 0198/2024 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गोवध अधिनियम थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री अच्युतानन्द चतुर्वेदी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।